बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 06/पणन(स0)–52/2025 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रू0 9,14,44,488/– (नौ करोड़ चौदह लाख चौवालीस हजार चार सौ अठासी) मात्र व्यय के निमित्त योजना की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) (सूची संलग्न) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रू0 9,14,44,488/– (नौ करोड़ चौदह लाख चौवालीस हजार चार सौ अठासी) मात्र के निकासी एवं व्यय के निमित्त योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी, 50 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रावधानित होगा, जो निम्नरूपेण विकलनीय होगा:–

क्र॰स॰	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	माग सख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण , विपत्र कोड–09–2425001080116	3,84,06,685/–
ii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–09–2425007890103	73,15,559/–
iii.	माग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425001080166	1,92,03,342/–

iv.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425007890101	36,57,780/–
	कुल राशि	**6,85,83,366/–**

ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। प्रथम अनुपूरक से ऋण मद से राशि प्राप्त होने के पश्चात ऋण मद की राशि विकलनीय होगी।

3. PVCS को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना का होगा।

4. सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 2971 दिनांक 19.10.2023 द्वरा निर्गत आदेश के आलोक में PVCS स्तर पर आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य हेतु PVCS कार्यान्वयन ऐजेन्सी/अभिकर्त्ता होगी। उक्त निर्माण कार्य हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर से नियमानुसार असैनिक अभियन्ता की प्रतिनियुक्त की जायेगी जो तकनीकी स्वीकृत प्राप्त मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन पर निर्माण कार्य संपादित करायेंगे।

5. योजना अन्तर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय–सीमा छः माह की होगी। संरचना निर्माण हेतु प्राथमिक सब्जी सहयोग समिति (PVCS) कार्यकारी एजेन्सी एवं अभिकर्त्ता के रूप में नामित होंगे। संरचना निर्माण में तकनीकी सहयोग हेतु वेजफेड द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC) से समन्वय कर PVCS का निर्माण कार्य में तकनीकी सहयोग एवं क्षमतावर्धन प्राप्त किया जायेगा। इस संरचना का पूर्ण स्वामित्व PVCS का होगा एवं इसका संचालन PVCS के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अभियंता द्वारा किया जायेगा जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

6. निर्माण कार्य हेतु समिति द्वारा कार्य सम्पादन के आधार पर निम्नरूपेण सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति से चार किश्तों में राशि का व्यय किया जायेगा–

i. निर्माण कार्य हेतु ले–आउट होने के पश्चात् प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन के आलोक में स्वीकृत राशि का अधिकतम 30% राशि।

ii. प्लींथ तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर द्वितीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।

iii. छत तक कार्य पुरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर तृतीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।

iv. शेष 10% राशि निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर चुतुर्थ किस्त के रूप में finishing के लिए।

7. प्रखंड स्तर पर PVCS में आधारभूत संरचना (ग्रामीण मंडी, संग्रहण केन्द्र/Multi Chambered Cold Storage आदि) के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि 10,000 वर्गफीट लीज/सरकारी भूमि PVCS द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

8. PVCS में आधारभूत संरचना निर्माण हेतु आवश्यक 100X100 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध नहीं होने के परिपेक्ष्य में निम्नांकित शर्तें हैः–

- समरूप क्षेत्रफल के भूखण्ड की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट तक होना चाहिए।
- भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए, लीज धारक का दखल कब्जा एवं अवभार मुक्त होना चाहिए।
- भूखण्ड तक पहुँच पथ होनी चाहिए।
- भूखण्ड की गहराई सड़क से 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. योजना अन्तर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकत्तम समय–सीमा छः माह की होगी। इसका नियमित निरीक्षण संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी PVCS में निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति से आवश्यक फोटो प्रमाणक के साथ प्रबंध निदेशक, वेजफेड को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

10. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

12. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–52/2025 के पृष्ठ संख्या 21/टि0 पर दिनांक– 10.07.2025 को प्राप्त है।

15. योजना प्रस्ताव पर संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–52/2025 के माध्यम से विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.07.2025 (कार्यवाही ज्ञापांक 3313 दिनांक 08.07.2025) द्वारा अनुशंसा प्राप्त है साथ हीं संचिका के पृष्ठ संख्या 22/टि0 पर दिनांक– 12.07.2025 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(उमेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 219 /पटना, दिनांक 16/07/25

06 / पणन(स0)–52 / 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना) / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना / सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव / निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

15/7/25

संयुक्त सचिव।
15/7/25